

क्र. १२१/१४

25-6-25

पनाली पेशा कमील परमाणु उपपनाली
 के फ. पर 01 R 10 UPL पर बहल कृषि वस्तु-
 गत उपपनाली सुने जाने के परमाणु
 पनाली के कमील से जाहिर हुआ
 कि कमील द्वारा सहकारी द्वारा के विरुद्ध
 स्थाई निर्णयवाली जारी है।
 188 R. T. अथ में सहकारी द्वारा के विरुद्ध

सूच्य क्रम

सूच्य या कार्यवाही मय इतिहास जल

संख्या व प्राथम्य अहकाम जो सूच्य की तारीख में जारी हुए

बिना विधिक विचारण के दावा को स्वीकार नहीं है। न्यायिक दृष्टि RRT 2019 (2) के Page 777 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सरकारों द्वारा के विरुद्ध निष्पक्षता का दावा नहीं किया जा सकता है, तथा यह भी स्पष्टांकित सिद्धान्त है कि विधिक विचारण से पूर्व सभी प्रकार के दावों का सम्पूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत पर एक व फाइनल निर्दिष्ट होगा, जबकि कोर्टों द्वारा बिना विधिक विचारण के सिद्ध सरकारों के विरुद्ध कोई निष्पक्षता नहीं गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर न्यायिक दृष्टि RRT 2019 (2) के Page 777 को ध्यान में रखते हुए कोर्टों का कर्तव्य है कि प्रत्येक दावा को इसी संदर्भ में विचारित किया जाना है।

प्रशासकीय विचारण की जगह पर न्यायिक विचारण प्रारंभ की गई।